



थाना हसनपुर प्रेस नोट दिनांक 28.05.2021

02 घण्टे मे किया लूट का खुलासा मुख्य आरोपी मय अपाचे मोटर साईकिल, लूटे गये रूपये व एक अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतीश पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2021 को थाना हसनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/21 धारा 392/506 भादवि मे प्रकाश मे आये अभियुक्त सौ सिंह पुत्र हरदत्त सिंह निवासी ग्राम गंगा चोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को एक अदद तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर मय टी0वी0एस0 अपाचे मोटर साईकिल(मैटेलक कलर) बिना नम्बर प्लेट व लूटे गये 1,52,000/- रूपये सहित गिरफ्तार किया ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.05.2021 को समय करीब 09.30 बजे सुबह चन्द्रपाल पुत्र हरवंश निवासी ग्राम कनैटा की मढैया थाना सैदनगली जनपद अमरोहा अपने रिश्तेदारो (कुल 06 व्यक्ति) के साथ 02 मोटर साईकिलो पर सवार होकर हसनपुर तहसील मे बैनामा कराने आ रहे थे जब यह लोग काला खेडा शुगर मील से थोडा आगे हसनपुर रोड पर पहुंचे तो पीछे से एक मोटर साईकिल (अपाचे बिना नम्बर प्लेट) पर सवार दो लडके आये और मोटर साईकिल पर सवार चन्द्रपाल उपरोक्त को गिराकर जान से मारने की धमकी देकर थैला छीनकर ले गये । जिसमे 2,02,000/- रूपये थे । वादी चन्द्रपाल की तहरीर पर थाना हसनपुर पर मु0अ0सं0 216/21 धारा 392/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु हसनपुर पुलिस द्वारा तत्परता से पतारसी सुरागरसी करते हुये एक अभियुक्त सौ सिंह पुत्र हरदत्त निवासी ग्राम गंगा चोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व लूट के 1,52,000/- रूपये (मय थैला) बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सौ सिंह द्वारा बताया गया कि वादी चन्द्रपाल उपरोक्त को गंगा एक्सप्रेस-वे का मुआवजा मिला था उस मुआवजे की रकम से वादी द्वारा भीमा सुल्तानपुर मे एक जमीन खरीदी गई थी । जिसका बैनामा आज तहसील हसनपुर मे कराया जाना था । बैनामे के रूपये के लिये वादी चन्द्रपाल द्वारा कल दिनांक 27.05.2021 को प्रथमा बैंक मंगरौला से 03 लाख रूपये निकलवाये गये थे । इस दौरान इनके साथ चन्द्रपाल के सगे साले का लडका अभियुक्त सौ सिंह भी साथ था । अभियुक्त सौ सिंह द्वारा अपने गाँव के 02 साथियों 1. मनवीर पुत्र राम अवतार 2. सतीश पुत्र गोपी निवासीगण ग्राम गंगा चोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के साथ मिलकर रूपयों के लूटने की योजना बनाई गई । इसी योजना के तहत सौ सिंह सुबह चन्द्रपाल के घर आ गया और जब ये लोग गाँव से रूपये लेकर बैनामा करने के लिये तहसील हसनपुर के लिये चले तो इनके द्वारा मनवीर व सतीश को सूचना दे दी गई । योजना के तहत मनवीर व सतीश ने अपाचे मोटर साइकिल पर सवार होकर काला खेडा शुगर मील से थोडा आगे आकर घटना को अंजाम दे दिया ।



गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सौ सिंह पुत्र हरदत्त निवासी ग्राम गंगा चोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी -

1. लूट के 1,52,000/- रुपये ।
2. एक तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
3. लूट मे प्रयुक्त अपाचे मोटर साईकिल (बिना नम्बर प्लेट) ।

वांछित अभियुक्तगण -

1. मनवीर पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम गंगा चोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. सतीश पुत्र गोपी निवासी ग्राम गंगा चोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. वरि0 उ0नि0 श्री संजय यादव थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री आनन्द पाल सिंह थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. हे0का0 235 शिव सिंह थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 341 गौरव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 350 अंकित मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
7. का0 57 अनुज कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
8. का0 1141 पंकज कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी ।